न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।
परिवाद संख्या–134/2026
CNR No.UPAU120006322026

रमेशचन्द्र बनाम प्रियंका शाक्य।

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–06.05.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

2. परिवादी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षिनी, प्रार्थी/परिवादी के साले की पत्नी है। साले की मृत्यु हो जाने के बाद विपक्षिनी ने प्रार्थी से कहा कि हमें घर का खर्च चलाने व मुकदमें की पैरवी करने व लोगों का उधार देने हेतु रुपयों की जरुरत है तथा विपक्षिनी ने कहा कि पति के क्लेम के पैसे मिलने पर दे दूंगी। इस बात पर विश्वास करके प्रार्थी ने समय–समय पर विपक्षिनी को नकद रुपया देने लगा। यह रुपया प्रार्थी ने विपक्षिनी को साले की मृत्यु हो जाने के कबाद करीब 02 साल में दिया। इस दौरान प्रार्थी ने विपक्षिनी को 7,00,000/–रुपये दे दिया। माह नम्बर में प्रार्थी ने विपक्षिनी से सम्पर्क किया, तो विपक्षिनी ने प्रार्थी को नकद पैसे न देकर दो चैकें इण्डुस इन्द्र बैंक की खाता संख्या 100271792717 शाखा कन्नौज की चैक संख्या 621296 व 621297 धनराशि 4,00,000/– रु0 व 3,00,000/–रु0 कुल 7,00,000/–रु0 की दी तथा उन पर दिनांक 19.01.2026 डाली व चैक देते समय कहा कि जब क्लेम की दूसरी किस्त मिले, तब चैक लगाकर रुपया निकाल लेना। जब प्रार्थी को पता चला कि क्लेम की दूसरी किस्त आ गयी, तो प्रार्थी ने उपरोक्त चैकें अपने केनरा बैंक, शाखा बिधूना के खाता संख्या 110256602573 में भुगतान हेतु लगायी, जो बिना आहरित हुए दिनांक 03.02.2026 को चैक संख्या 621296 में Alteration requires draswers authintication व चैक संख्या 621297 Fund Insufficient की प्रविष्टि के साथ वापस कर दी गयी। प्रश्नगत चैकों का भुगतान ने होने पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता से विपक्षी को पंजीकृत डाक से दिनांक 09.02.2026 को नोटिस प्रेषित किया, जो दिनांक 14.02.2026 को विपक्षिनी को प्राप्त हुआ, लेकिन विपक्षिनी ने आज तक न नोटिस का जबाव दिया और न ही परिवादी के रुपये वापस किये। अतः विपक्षिनी को धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत तलब करने की कृपा करें।

3. परिवादी द्वारा परिवाद से संलग्न स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र, एन0आई0 एक्ट धारा 138 में परिवाद दायर करने का Proforma, दो किता मूल चैकें, दो किता चैक अनादरण के सम्बन्ध में बैंक से प्राप्त ज्ञापन की असल प्रतियां, विपक्षी को प्रेषित नोटिस दिनांकित 09.02.2026 की छायाप्रति, नोटिस भेजे जाने की रजिस्टर्ड डाक की मूल रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट व एक किता छायाप्रति आधार कार्ड परिवादी रमेशचन्द्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये हैं।

4. इस प्रकरण में दो चैक संख्याओं का विवाद है, जो कि चैक नम्बर 621296 एवं 621297 हैं। दोनों चैकों के अनादरण का कारण पृथक है। अतः दोनों चैकों के बारे में पृथक रुप से विश्लेषण आवयश्क है।

5. चैक संख्या 621296 धनराशि 4,00,000/– इस टिप्पणी के साथ अनादरित हुआ है कि उक्त चैक में Alteration requires draswers authintication। अतः इस चैक में वस्तुतः कोई ऐसा परिवर्तन है, जिसका कि प्रियंका शाक्य को अपने हस्ताक्षर के जरिये समर्थन करना था। इस प्रश्नगत चैक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस चैक की तिथि में परिवर्तन किया गया है। तिथि लिखने के स्थान पर दिन के

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.05.06 12:50:54 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

कॉलम में ऑवर राइटिंग है। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो चैक को वस्तुतः प्रभावित करता है। इस परिवर्तन का समर्थन प्रियंका शाक्य के हस्ताक्षर से होना चाहिए था, जिसके अभाव में यह चैक शून्य है। शून्य चैक के अनादरण से प्रथम दृष्टया भी कोई अपराध परक्राम्य अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होता है।

6. परिवादी के सभी प्रपत्रों का अवलोकन करने से प्रश्नगत चैक संख्या 621297 के सम्बन्ध में ज्ञात होता है कि परिवादी को जो चैक नम्बर 621297 धनराशि 3,00,000/–रु0 दिनांकित 19.01.2026 विपक्षिनी प्रियंका द्वारा दी गयी, वह परिवादी ने तीन माह के निर्धारित समय के अन्दर अपने केनरा बैंक, शाखा बिधूना के खाता संख्या 110256602573 में धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की, चैक संख्या 621297 Fund Insufficient की प्रविष्टि के साथ दिनांक 03.02.2026 को वापस कर दी गयी। उपरोक्त चैक पर प्रथम दृष्टया विपक्षिनी प्रियंका शाक्य के हस्ताक्षर हैं। बैंक ज्ञापन दिनांक 03.02.2026 प्राप्त होने के बाद दिनांक 09.02.2026 को परिवादी द्वारा विपक्षी को 30 दिन के अन्दर अनादरित चैक की धनराशि का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया, जिसकी प्रति एवं नोटिस भेजे जाने की डाक रसीद पत्रावली पर संलग्न है। ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार नोटिस विपक्षिनी पर दिनांक 14.02.2026 को तामील हो गया था। परिवादी के कथनानुसार उक्त धनराशि का भुगतान उसे आज दिनांक तक नहीं किया है। परिवादी के द्वारा नोटिस की अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर ही दिनांक 09.03.2026 को यह परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत प्रस्तुत कर दिया गया तथा परिवादी के द्वारा विपक्षी को पैसा देने की वजह विपक्षिनी पर घर का खर्च चलाने, मुकदमें की पैरवी करने व लोगों की उधारी देना बताया गया है, जो कि वैधानिक देनदारी है। अतः उक्त सम्प्रेषण के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षिनी प्रियंका शाक्य को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

विपक्षिनी **प्रियंका शाक्य** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत चैक संख्या 621297 धनराशि 3,00,000/– रुपये से सम्बन्धित अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी धारा 144 एन0आई0 एक्ट के आलोक में अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 06.06.2026 को पेश हो।

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP4693